हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 82

बुधवार, 9 सितम्बर, 2020/18 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री को नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देने हेतु पुकारने पर श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री हर्षवर्धन चौहान ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया कि उनके पक्ष के शेष बचे 4 सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से पहले चर्चा करने का अवसर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष ने उनके अनुरोध को अस्वीकार करते हुए मुख्य मंत्री को चर्चा का उत्तर देने हेतु कहा। ज्यों ही मुख्य मंत्री ने उत्तर देना आरम्भ किया, कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और 11.20 बजे पूर्वाह्न वेल ऑफ द हाऊस में आ कर नारेबाजी करने लगे।

मुख्य मंत्री ने नियम-67 के अंतर्गत हुई चर्चा में सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर अपना विस्तृत उत्तर दिया।

(12.24 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य पुनः अपने स्थान पर आए।)

माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगत प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करने पर कांग्रेस विधायक दल के सदस्य उन्हें अपनी बात रखने के लिए समय न देने के विरोध में 12.44 बजे अपराह्न सदन से बाहर चले गए।

नियम-67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

मुख्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक दल के वेल ऑफ द हाऊस में आकर नारेबाजी करने व बाद में सदन से बाहर चले जाने संबंधी रवैये की कठोर शब्दों में निंदा एवं भर्त्सना की।

2. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2656 व 2666 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्याः 2939 से 2979 तक के लिखित उत्तर सदन के पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 998 व 1001 (स्थागित) तथा 1082 से 1097 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

1. **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 4); और**
2. **हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 5)।**

4. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हारमोनियम मास्टर, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः पब-ए(3)-1/2020 दिनांक 09.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.06.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, प्रचार सहायक, ग्रेड-I, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-2/2020 दिनांक 17.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.07.2020 को प्रकाशित।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 28(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री** ने जे0 पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड-18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाकनाघाट, जिला सोलन के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग, सहायक निदेशक कारखाना (रसायन/यांत्रिक), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-2/2019(स्था.) दिनांक 13.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.07.2020 को प्रकाशित; और

(ii) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम) अधिनियम, 1966 की धारा 19(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम कल्याण अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः श्रम (ए)4-5/2019(स्था0) दिनांक 20.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.07.2020 को प्रकाशित।

(5) **श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, प्रवक्ता (विद्यालय-नई व्यवस्था), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः ई.डी.एन.-ख-ख(16)-11/2019 दिनांक 08.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.07.2020 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(6) **श्री राकेश पठानिया, वन मन्त्री** ने कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड अधिनियम, 2016 की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट कम्पनसेटरी एफोरस्टेशन फण्ड मेनेजमैंट एण्ड प्लानिंग ऑथोरिटी (कैम्पा) के चौथे वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

5. अध्यादेश

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 11.04.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 28.05.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) की हिमाचल प्रदेश कृषि उपज़ विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) की

प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रख्यापित, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ सहित) सभा पटल पर रखी।

6. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 31वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वर्ष 2016-17) (आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा संख्याः 3.12 व 3.13 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित से सम्बन्धित;

(ii) समिति का 32वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 33वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 41वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है।

(2) **श्री बलबीर सिंह, सभापति, कल्याण समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 25वां मूल प्रतिवेदन जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत "विधवा एकल नारी/परित्यक्ता/पैंशन योजना" से सम्बन्धित गतिविधियों पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति**, (वर्ष 2020-21) ने समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन जोकि उच्चतर शिक्षा विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि कृषि विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने "हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना (HPRIDC)" बारे वक्तव्य दिया।

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

बैठक प्रारंभ होते ही श्री होशयार सिंह, सदस्य ने सुश्री कंगना रणावत के मुम्बई स्थित कार्यालय को तोड़े जाने संबंधी समाचार की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने चाहा कि सरकार सुश्री कंगना रणावत के जान-माल की रक्षा हेतु समुचित कदम उठाए।

मुख्य मंत्री ने सूचित किया कि प्रदेश सरकार की ओर से सुश्री कंगना रणावत को PSO तथा उनके मनाली स्थित आवास पर सुरक्षा गार्द मुहैया करवाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से भी उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। उन्होंने कहा कि मुम्बई में सुश्री कंगना रणावत के कार्यालय को तोड़ा जाना निश्चय ही एक चिंता का विषय है और निंदनीय कृत्य है। सरकार

महाराष्ट्र सरकार से भी सुश्री कंगणा रणावत को सुरक्षा उपलब्ध करवाने संबंधी मामला उठाएगी।

श्री राम लाल ठाकुर ने कहा कि सुश्री कंगना रणावत के मुम्बई स्थित कार्यालय को तोड़े जाने के मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है और अब यह विषय sub-judice है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा करना उचित नहीं है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार की चिंता केवल इतनी ही है कि सुश्री कंगना रणावत के जान-माल तथा उनके परिवार को सुरक्षा मिले।

श्री जगत सिंह नेगी ने इस विषय को बिना किसी नियम के सदन में उठाने पर आपत्ति की।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने श्री होशयार सिंह जी को यह विषय उठाने की अनुमति इसलिए दी है क्योंकि सुश्री कंगना हिमाचल की बेटी है, इसलिए उसकी जान-माल की सुरक्षा होनी चाहिए।

कर्नल इन्द्र सिंह ने सुश्री कंगना रणावत को प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाए जाने के लिए दोनों सरकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुम्बई में बान्द्रा स्थित सुश्री कंगना रणावत के ऑफिस भवन को गिराया जाना निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें इस बात को लेकर चिंता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुश्री कंगना रणावत को सरकार द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है और सभी चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे।

8. विधेयक को वापिस लेने बारे प्रस्ताव

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 को पारित हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) को वापिस लिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापनों में) संरक्षण संशोधन विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक 14) वापिस हुआ।

9. विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री,** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री,** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12) पुरःस्थापित हुआ

(iv) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री,** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020(2020 का विधेयक संख्यांक 13) पुरःस्थापित हुआ

(v) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) पुरःस्थापित हुआ

(vi) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, ने **प्रस्ताव** किया **कि** हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) पुरःस्थापित हुआ

(vii) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ

(viii) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री**, ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14)) पुरःस्थापित हुआ

10. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री रमेश चंद ध्वाला, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"रोजगार सृजन हेतु कृषि को बढ़ावा देने पर यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री राम लाल ठाकुर
2. कर्नल इन्द्र सिंह
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
4. श्री विशाल नैहरिया
5. श्री विक्रमादित्य सिंह
6. श्री जवाहर ठाकुर
7. श्री राजेन्द्र सिंह राणा
8. श्री मुकेश अग्निहोत्री

कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 05.20 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।

05.20 बजे अपराह्न पुनः सदन की बैठक का समय 05.35 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।

05.25 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, 10 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।